(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

बिहार सरकार–सह–समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

पत्रांकः–............../भू0अ0, दिनांकः–.....................2021

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना गंगाजल उद्वह योजना हेतु Pipe Laying निर्माण के लिए मौजा–सरमेरा, थाना नं0–82, थाना बिहार, अंचल–सरमेरा, जिला–नालन्दा में कुल–0.054 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

भू–अर्जन के कारण कुल शून्य परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। प्रभावित परिवारों के पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रुप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा–सरमेरा, थाना नं0–82, अंचल–सरमेरा, जिला–नालन्दा में उपर्युक्त कथित परियोजना हेतु कमोवेश 0.054 एकड़ मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन हैः–

क्र0 सं0	खाता संख्या	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मौजा–सरमेरा, थाना नं0–82										
1	1093	2118	निजी	भीठ	0.054	ठाकुरवाडी				

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्यिों के लिए जारी की जाती हे।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा–12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यो के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अब भूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नलान्दा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

इस अधिनियम की धारा–11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्छिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–693/रा0, दिनांक–20.08.2020 के द्वारा भू–अर्जन अधिनियम–2013 के धारा–40 के आपदिक मामलों से आच्छादित परियोजना होने के कारण इस परियोजना हेतु अधिनियम (RFCTLARR-2013) के अध्याय–II में वर्णित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन कार्य (SIA) एवं अध्याय–IV की धारा–15 के तहत आपत्तियों की सुनवाई से छूट प्रदान की गई है।

ह0/–
समाहर्ता
नालन्दा।

ज्ञापांक—......581....../भू0अ0,   दिनांकः—.....27../...03../2021

प्रतिलिपिः— उप समाहर्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियॉ जिला भू—अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपिः— जिला अवर निवंधक, नालन्दा को इस निर्णय के साथ प्रेषित कि धारा 11(1) के तहत अधिसूचित भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11(4) का अनुपालन सूनिश्चित करेंगें जिसके तहत अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि क़ा कोई संव्यवहार (Transaction) नहीं किया जाना है।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 नालन्दा को जिले के वेवसाइड पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता, नालन्दा—सह—प्रशासक, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन को सूचनार्थ एवं धारा 16 के तहत पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार कर उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहारशरीफ/ अचंल अधिकारी, सरमेरा/मुखिया ग्राम 'पंचांयत राज, सरमेरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित करना सूनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः— निदेशक, भू—अर्जन बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

समाहर्ता
नालन्दा।